28/02/25 राजस्व(?) उपस्थित/ मूल वाद मे
आ-पत्र 0,R(0(2) CPC पेश किया
गया था जिसका निस्तारण हो चुका है
अदालती के विरुद्ध पूर्व मे एकतरफा
कार्यवाही की जा चुकी है चूंकि प्रकरण
मे अदालती की ओर से कोई विरोध व
आपत्ति दर्ज नही करवाई गई है ऐसी
स्थिति मे संज्ञानिक(?) में प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः
प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मे
पारित आ. दिनांक 19/07/2024 को मूल
वाद के निस्तारण तक स्थगित किया
जाता है पत्रावली मिसल मे शामिल होवे
मूल वाद संलग्न रहे

उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:54:26 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner